[illegible] के बाद नाप्रायिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार चिड़ावा के 1000/- रुपये cost पर मौके का निरीक्षण निशुल्क किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त अराजी हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 0.78 है०, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.97 है०, हाल खसरा नम्बर 773 रकबा 1.11 है० व हाल खसरा नम्बर 771 रकबा 1.30 है० कुल किता-4 कुल रकबा 4.09 है० मौजा [illegible] के मौके पर जाकर मौके, नक्शे व रिकार्ड के अनुसार समस्त पक्षकारान की मौजूदगी में विधिवत वियाजन प्रस्ताव तैयार करें। वियाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी हो। मिसल इन्तजार वियाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 23-3-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

23-3-21 पत्रावली पेश हुई। मिसल इन्तजार वियाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 6-4-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

6-4-21 पत्रावली पेश हुई। मिसल इन्तजार वियाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 28-4-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
आमन्दा दिनांक 27/5/21 को पेश हो।

27/5/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
आमन्दा दिनांक 12/8/21 को पेश हो।

12-8-21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर वियाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल मिसल रहे। वकील पक्षकारान की आपसी सहमति से वाद वादी मुताबिक वियाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। वियाजन प्रस्ताव मुताबिक तहसीलदार चिड़ावा पक्षकारान का राजीनामा [illegible] से अमल दरामद करें। वियाजन प्रस्ताव के अनुसार [illegible] का भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] शामिल होकर से कम की जाकर बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.12.23 12:24:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner